01 **अभियोजन साक्षी**

04.07.2018 **48 वर्ष**

शपथ पूर्वक **कमलेश तिवारी**

स्व. श्री गोविंद प्रसाद तिवारी **पटवारी**

हल्का नंबर 70, मुख्यालय लालपुर, थाना टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

<u>मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री जे.एम.राजिमवाले अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन</u>

01. मै फरवरी 2017 से ग्राम टिकरापारा पटवारी हल्का नंबर 70 का पटवारी हूं।

02. दिनांक 13.01.2018 को थाना टिकरापारा द्वारा अप0क0–21/18 अंतर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 के प्रकरण में घटना स्थल का नजरी नक्शा संबंधित पटवारी से तैयार करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर को आवेदन दिया गया था, जो प्रपी–1 है। तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 08.02.2018 को घटना स्थल पुजारी पेट्रोल पम्प के पीछे, आदर्श नगर, रायपुर पहूंचकर मेरे द्वारा गवाह दिनेश ताण्डी की उपस्थिति में उसके बताये अनुसार घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, जो प्रपी–2 है। जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। प्रपी–2 में लाल रंग से दर्शित स्थान घटना स्थल है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती प्रतिभा राठौर पैनल अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

03. यह कहना सहीं है कि मै साक्षी दिनेश ताण्डी को नहीं जानता हूं। यह कहना गलत है कि मै घटना स्थल पर नहीं गया था। यह कहना गलत है कि मै नजरी नक्शा प्रपी–2 अपने कार्यालय में ही बैठकर तैयार किया है। यह कहना भी गलत है कि साक्षी दिनेश ताण्डी मेरे परिचित गवाह है।

समय – 11:45 से 12:00 तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर ....